रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 11 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 20, 1944 शक संवत्) [संख्या 10

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	137–146	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	249–260	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	135–146	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	153–171	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

पुलिस विभाग

गृह विभाग (पुलिस)

अनुभाग-1

पदोन्नति

02 नवम्बर, 2022, ई0

सं0 2660/6-पु-1-22-287/2020—चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 09 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (गोपनीय)को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवेल—10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0सं0	अधिकारियों के नाम	कोटि क्रमांक सूची
1	श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय	कोटि क्रमांक-1
2	श्री कृष्ण कुमार सिंह	कोटि क्रमांक-2
3	श्री इनामुल हक	कोटि क्रमांक-3
4	श्री मुनेश कुमार शर्मा	कोटि क्रमांक-4
5	श्री ओम प्रकाश शर्मा	कोटि क्रमांक-6
6	श्री उमाशंकर सिंह	कोटि क्रमांक-7
7	श्री राजपाल सिंह	कोटि क्रमांक-8
8	श्री राजीव कुमार	कोटि क्रमांक-9
9	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	कोटि क्रमांक-10
10	श्री राज कुमार गुप्ता	कोटि क्रमांक-11

2-उपरोक्तानुसार संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार सिंह दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पदोन्नति के उपरांत सेवा निवृत्त हो जायेंगे एवं श्री शिवशंकर सिंह दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके सापेक्ष क्रमांक-9 पर अंकित श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-10) एवं क्रम संख्या-10 पर अंकित श्री राज कुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-11) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड पे-रु0 5,400/— पे मैट्रिक्स लेवन-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिको के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शााखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई भी प्रतिकूल

तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5-पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध हैं। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

11 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 2659/6-पु-1-22-287/2020 चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 02 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लेखा) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लेखा) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवेल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

क्र0सं0	अधिकारियों के नाम	कोटि क्रमांक सूची
1	श्री अनिल कुमार मिश्रा	कोटि क्रमांक-3
2	श्री इरफान अहमद सिद्दीकी	कोटि क्रमांक-4
3	श्री विजय नरायण तिवारी	कोटि क्रमांक-5

2-उपरोक्तानुसार संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-3 पर अंकित श्री अनिल कुमार मिश्रा (ज्येष्ठता कोटि क्रम-3) दिनांक 31 मई, 2023 को पदोन्नति के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे। अतः उनके सापेंक्ष क्रम संख्या-3 पर अंकित श्री विजय नरायण तिवारी (कोटि क्रमांक-5) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) ग्रेड पे रु0 5,400/– पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3-उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरूद्व कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लेखा शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्यिां वास्तविक रूप से उपल्ब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 2661/6-पु-1-22-287/2020 चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 05 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 26 सितम्बर 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (लिपिक) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (लिपिक) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवेल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक
1	श्री रमेश चन्द्र विमल	कोटि क्रमांक-1
2	श्री राकेश कुमार	कोटि क्रमांक-3
3	श्रीमती अरूणा सिंह	कोटि क्रमांक-4
4	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	कोटि क्रमांक-5
5	श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	कोटि क्रमांक-6
6	श्रीमती मनोरमा देवी	कोटि क्रमांक-8
7	श्री बचनेश सिंह	कोटि क्रमांक-10

2- उपरोक्तानुसार संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-1 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र विमल दिनांक 31 मई, 2023 को पदोन्नति के उपरांत सेवानिवृत्त हो जायेंगे एवं क्रम संख्या-4 पर अंकित श्रीमती अरूणा सिंह दिनांक 31 मई, 2023 को पदोन्नति के उपरांत सेवानिवृत्त हो जायेंगी। अतः उनके सापेक्ष क्रम संख्या-6 पर अंकित श्रीमती मनोरमा देवी (कोटि क्रमांक-8) एवं क्रम संख्या-7 पर अंकित श्री बचनेश सिंह (कोटि क्रमांक-10) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) ग्रेड पे-रु0 5,400/–पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष सवीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरूद्व किसी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरूद्व कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (लिपिक शाखा) के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्तियां वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्यिों के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव।

पुलिस विभाग

[गृह]

अनुभाग-1

11 नवम्बर, 2022, ई0

पदोन्नति

सं0 3132/6-पु-1-2022-1300(14)/2014—चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा सवर्ग में निदेशक (पुलिस दूरसंचार) पद के 01 रिक्ति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) पद से निदेशक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संसतुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत श्री सुनील कुमार सिंह (ज्येष्ठता सूची का क्रमांक-01) को कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से निदेशक, (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000/—मैट्रिक्स पे-लेवल-14, पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,44,200-2,18,200) के रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

2- उक्त प्रोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ तथा अन्य सम्बन्धित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

3- प्रश्नगत चयन से सम्बनिधत यदि कोई याचिका विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को निदेशक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

5- उक्त प्रोन्नत अधिकारी की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

सं0 3132(2)/6-पु-1-2022-1300(14)/2014—चयन वर्ष 2022-23 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के सहायक रेडियो अधिकारी पद से सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) के पद पर प्रोन्नति कोटे में 05 वास्तविक रिक्ति एवं 02 सम्भावित रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संसतुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के सहायक रेडियो अधिकारियों में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित सहायक रेडियो अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी, (ज्येष्ठ वेतनमान) (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/— मैट्रिक्स पे-लेवल-11, पुनरीक्षित वेतनमान रु0 67,700-2,08,700) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सवीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0सं0	ज्येष्ठता सूची क्रमांक	नाम	अभ्युक्ति
1	01	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	—
2	02	श्री ब्रजेन्द्र भारद्वाज	—
3	03	श्री शैलेष कुमार मौर्य	—
4	04	श्री राम कमल सिंह	—
5	05	श्री भगवान राम	—

2-प्रश्नगत चयन मा0 उच्चतम नयायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 24679/2015 (सिविल अपील नम्बर-1838/2018) सुशील पाण्डेय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्ण के अधीन होगा।

3-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

4-उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रसंगिक नियम लागू होंगे।

5-अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्त वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 3133/6-पु-1-2022-1300(14)/2014—चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के राज्य रेडियो अधिकारी के पद से उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर प्रोन्नति कोटे में सम्भावित 01 रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समितति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस रंडियो विभाग के राज्य रेडियो अधिकारी में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत श्री सुनील कुमार शुक्ला (ज्येष्ठता सूची का क्रमांक-01) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप महानिरीक्षक, (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान रु0 37,400-67,00 ग्रेड पे रु0 8,900/—मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

2- प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि कोई याचिका विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमनय वेतन/भत्ते देय होंगे।

4-उक्त प्रोन्नत अधिकारी की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

5-अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 3135/6-पु-1-2022-1300(14)/2014—चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के सहायक रेडियों अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) पद से अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर प्रोन्नति कोटे में 02 सम्भावित रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपर राज्य रेडियो अधिकारी (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रू0 7,600/—मैट्रिक्स पे-लेवल -12 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	नाम	अभ्युक्ति
1	01	श्री महेन्द्र सिंह	—
2	02	श्री रमेश चन्द्र	दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 सेवानिवृत्त

2-उपरोक्तानुसार संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र (जयेष्ठता कोटिक्रम-02) दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को पदोन्नति के उपरांत सेवानिवृत्त हो जायेंगे। अतः उनके सापेक्ष क्रम संख्या-3 पर अंकित श्री विनोद कुमार शुक्ला (जयेष्ठता सूची का क्रमांक-03) को अपर राज्य रेडियो अधिकारी (वेतनमान पी0बी0-03 रू0 15,600-39,100, ग्रेड पे रू0 7,600/– मैट्रिक्स पे-लेवल-12, पुनरीक्षित वेतनमान रू0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3-प्रश्नगत चयन मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 24679/2015 (सिविल अपील नम्बर-1838/2018) सुशील पाण्डेय व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

5-उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

6-अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

सं0 3135/6-पु-1-2022-1300(14)/2014–चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद से राज्य रेडियों अधिकारी के पद पर प्रोन्नति कोटे में 01 वास्तविक रिक्ति एवं 01 सम्भावित रिक्ति के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस रेडिया विभाग के अपर राज्य रेडियो अधिकारी में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित अपर राज्य रेडियो अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य रेडियो अधिकारी (वेतन बैण्ड रु0 37,400 67,000, ग्रेड पे रु0 8,700/–मैट्रिक्स पे-लेवल-13, पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्र0सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	नाम	अभियुक्त
1	01	श्री राम निवास सिंह यादव	–
2	02	श्री राजेन्द्र कुमार	–

2-प्रश्नगत चयन मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 24679/2015 (सिविल अपील नम्बर-1838/2018) सुशील पाण्डेय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

4-उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

5-अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। वास्तविक रूप से उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष ही प्रोन्नति आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

गृह (पुलिस)

अनुभाग-1

शुद्धि-पत्र

17 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 2660(1)/6-पु-1-22-287/2020—चयन वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) के पद पर प्रोन्नति कोटे मे 09 रिक्तियों के सापेक्ष गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 26 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के निरीक्षक (गोपनीय) में से मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक (गोपनीय) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय सहायक शाखा/अशिुलिपिक रिपोर्टर शाखा) साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में प्रोन्नति विषयक निर्गत विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या:2660/6-पु-1-22-287/2020 दिनांक 02 नवम्बर, 2022 में ''संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार सिंह दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पदोन्नति के उपरांत सेवानिवृत्त हो जायेंगे एवं श्री शिवशंकर सिंह दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके सापेक्ष क्रमांक-09 पर अंकित श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-10) एवं क्रम संख्या-10 पर अंकित श्री राजकुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-11) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय)(गोपनीय शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड पे रु0 5,400/—पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अंकित हो गया है।''

2-अतः विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2022 के प्रस्तर-02 में अंकित संस्तुत कार्मिकों में से क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार सिंह दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पदोन्नति के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे एवं श्री शिवशंकर सिंह दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके सापेक्ष क्रमांक-09 पर अंकित श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-10) एवं क्रम संख्या-10 पर अंकित श्री राजकुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-11) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड पे रु0 5,400/—पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, के स्थान पर ''संस्तुत कार्मिको में से श्री शिवशंकर सिंह दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके सापेक्ष क्रमांक-9 पर अंकित श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-10) एवं क्रम संख्या-2 पर अंकित श्री कृष्ण कुमार सिंह दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पदोन्नति के उपरांत सेवा निवृत्त हो जायेंगे। अतः उनके सापेक्ष क्रमांक-10 पर अंकित श्री राजकुमार गुप्ता (ज्येष्ठता कोटिक्रम-11) को पुलिस उप अधीक्षक (लिपिक वर्गीय) (गोपनीय शाखा/आशुलिपिक रिपोर्टर शाखा) ग्रेड पे-रू0 5,400/—पे मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर पदोन्नत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है'' पढ़ा जाय। उक्त विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा आदेश में निहित अन्य आदेश यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव।

(पुलिस सेवायें)

अनुभाग-1

01 दिसम्बर, 2022 ई0

कार्यालय आदेश

सं0 6-17001(099)/14/2022(-1)-17-I/242875/2022—पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-1-28(1)2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त पूर्व से सृजित/प्रचलित पदों को

समयोजित करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में निम्नवत पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैः–

क्र0सं0	पदनाम/रैंक	वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईवार
1	सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस उपाधीक्षक स्तर)	पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500)	24	जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज

2-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त प्रणाली से पूर्व के पद तदनुसार समयोजित किये जाते हैं।

3-यह आदेश वित्त विभाग के आशा0 पत्र संख्या-ई-12-411-X-2022-23 दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

सं0 1/2022/3008/छः पु0से0-1-2022–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-1-28(1)2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त पूर्व से सृजित/प्रचलित पदों को समयोजित करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में निम्नवत पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैः–

क्र0सं0	पदनाम/रैंक	वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईवार
1	सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस उपाधीक्षक स्तर)	पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500)	24	जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज

2-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त प्रणाली से पूर्व के पद तदनुसार समयोजित किये जाते हैं।

3-यह आदेश वित्त विभाग के आशा0 पत्र संख्या-E-12-411-X-2022-23 दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

सं0 6-17001(099)/14/2022-(-1)-17-I/242875/2022–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-1-28(1)2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जनपद अगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के उपरान्त पूर्व से सृजित/प्रचलित पदों को समयोजित करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज में निम्नवत पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्र0सं0	पदनाम/रैंक	वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईवार
1	सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस उपाधीक्षक स्तर)	पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500)	24	जनपद आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज

2-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त प्रणाली से पूर्व के पद तदनुसार समयोजित किये जाते हैं।

3-यह आदेश वित्त विभाग के आशा0 पत्र संख्या-ई-12-411-X-2022-23 दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

12 जनवरी, 2023 ई0

सं0 6-1001/7/2022-( )-1-I/260742/2023—उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के निम्नलिखित रेडियो निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स 56,100-1,77,500, ग्रेड पे रू0 5,400/—, लेवल-10) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति पदान करती हैं—

चयन वर्ष 2021-22 (रिक्तियों की संख्या-03)

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	05	ब्रहमदेव शुक्ल
2	06	शिवकुमार (सेवानिवृत्ति दि0 31 जनवरी, 2023)
3	08	प्रीतम सिंह
4	09	कुलदीप सिंह (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष) सेवानिवृत्ति दि0 31 जनवरी, 2023

चयन वर्ष 2022-23 (रिक्तियों की संख्या-02+1) (चयन वर्ष 2021-22 में संस्तुत कार्मिक के इसी चयन वर्ष में सेवानिवृत्त होने के सापेक्ष रिक्ति)=03

क्रम सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	10	प्रदीप कुमार
2	11	हरिराज सिंह
3	12	अनुराग

3- मा0 उच्च नयायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 22 नवम्बर, 2015 के समादर में प्रश्नगत पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में दाखिल रिट याचिका संख्या 2334(एसएस)/1997 अशोक कुमार वर्मा बनाम सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-7364(एसएस)/2015 प्रदीप कुमार मिश्रा बनाम सरकार व अन्य तथा इससे सम्बन्धित यदि कोई प्रत्यावेदन/विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को सहायक रेडियों अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

5- उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ0प्र0 शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

आज्ञा से,
जय शंकर राय,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0—50 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 20, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

प्रारूप–19
नियम-27 का उपनियम (1),
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

31 जनवरी, 2023

सं0 1195/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23–उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-16, चन्दौसी (सम्भल) द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) चन्दौसी शाखा के निर्माण हेतु जनपद-अमरोहा, तहसील-अमरोहा, परगना-अमरोहा, ग्राम-मौहम्मदपुर नवादा में कुल 0.5870 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0-496/10-27-सिं-3-10 अधिसूचना, 2009 दिनांक 29 मार्च, 2010 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 04 जून, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्ति किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा-(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने के निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची-''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद-अमरोहा, तहसील-अमरोहा, ग्राम-मौहम्मदपुर नवादा की शून्य हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	मौहम्मदपुर नवादा	73/4	0.3644
				73/3	0.1886
				कुल योग . .	**0.5530**

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0) में
1	2	3	4	5	6
———————— शून्य ————————					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-19
[Sub-rule (1) of rule 27]
DECLARATION BY APPROPTIATE GOVERNMENT/COLLECTOR
[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]
NOTIFICATION
February 23, 2023

No. 1195/VIII/S.L.A.O./Amroha/2023–Whereas preliminary notification No. 496/10-27-si-3-10 dated 29.3.2010 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the rule Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.5870 Hectares of land in Village-Mohammadpur Nawada, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project MGC Stage-II Through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Division-16, Chandausi (Sambhal) (Name of Requiring Body) published on dated 04-6-2022. The Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.000 Hectares in Village-Mohammadpur Nawada, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Mohammadpur	73/4	0.3644
			Nawada	73/3	0.1886
				Total . .	**0.5530**

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
---------- Nill ----------					

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquision.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

प्रारूप–19

ख–नियम-27 का उपनियम (1),
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

08 फरवरी, 2023 ई0

संख्या-1258/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम-घनसूरपुर खालसा, सुल्तानपुर वीरान, कालाखेडा, बेगपुर शर्की, भीकनपुर शर्की, रामपुर भूड, करनपुर माफी एवं याकूबपुर में कुल 1.1925 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-509/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/22 दिनांक 10 अगस्त, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर हसनपुर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम-घनसूरपुर खालसा, सुल्तानपुर वीरान, कालाखेडा, बेगपुर शर्की, रामपुर भूड एवं करनपुर माफी में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु जिला कलेक्टर अमरोहा को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	घनसूरपुर खालसा	223	0.2952
			सुल्तानपुर वीरान	517मि0	0.1960
			कालाखेडा	295	0.2160
			बेगपुर शर्की	143 मि0	0.0270
			रामपुर भूड	151	0.0912
				160	0.0455
				योग . .	**0.1367**
			करनपुर माफी	03मि0	0.0279
				कुल योगः–	**0.8988**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
––––––––––विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''––––––––––					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPTIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

February 08, 2023

No. 1258/VIII/S.L.A.O./Amroha/2023–Whereas preliminary notification no. 509/VIII/S.L.A.O/ Amroha/22, Dated 10.08.2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.1925 hectares of land Village-Ghansoorpur Khalsa, Sultanpur Viran, Kalakhera, Bagpur Sarki, Bhikanpur Sarki, Rampur Bhoor, Karanpur Mafi & Yakubpur Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body and lastly published on dated 10.08.2022. The Deputy Collector Hasanpur was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of Zero hectares in Village-Ghansoorpur Khalsa, Sultanpur Viran, Kalakhera, Bagpur Sarki, Rampur Bhoor & Karanpur Mafi, Pargana Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Ghansoorpur Khalsa	223	0.2952
			Sultanpur Viran	517M.	0.1960
			Kalakhera	295	0.2160
			Bagpur Sarki	143M	0.0270
				151	0.0912
			Rampur Bhoor	160	0.0455
				Total	**0.1367**
			Karanpur Mafi	03M	0.0279
				G.Total	**0.8988**

SCHEDULE-B
(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
----------Nil----------					

NOTE–A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

13 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1278/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम निजामपुर सुमाली, सिहाली जागीर, भीकनपुर सुमाली, सेमला, सुल्तानपुर मौलवी, खानपुर, पूठी, फिरोजपुर गडावली, लिसडी बुजुर्ग तथा परगना व तहसील अमरोहा ग्राम शहवाजपुर कलां में कुल 2.2901 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-511/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/22 दिनांक 10 अगस्त, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 16 सितम्बर, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, हसनपुर/अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम निजामपुर सुमाली, भीकनपुर सुमाली, सेमला, सुल्तानपुर मौलवी, खानपुर, पूठी, फिरोजपुर गडावली, लिसडी बुजुर्ग तथा परगना व तहसील अमरोहा ग्राम शहवाजपुर कलां में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु जिला कलेक्टर अमरोहा को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	निजामपुर सुमाली	59	0.1624
				122	0.0560
				योग . .	**0.2184**
			भीकनपुर सुमाली	180	0.0030
				194	0.0028
				197	0.0036
				योग . .	**0.0094**
			सेमला	397	0.1888
			सुल्तानपुर मौलवी	258	0.1298
				265	0.0090
				योग . .	**0.1388**
			खानपुर	31	0.1414
				04	0.0462
				योग . .	**0.1876**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	पूठी	98	0.2240
			फिरोजपुर गडावली	72	0.0072
				73	0.1104
				150	0.0222
				151	0.0420
				152	0.0112
				154	0.0840
				155	0.0012
				योग . .	**0.2782**
			लिसडी बुजुर्ग	128	0.0420
		अमरोहा	शहवाजपुर कलां	110	0.1246
				193	0.0144
				194	0.0048
				196	0.0104
				योग . .	**0.1542**
				कुल योग . .	**1.4414**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
––––––––––विस्थापित परिवारों की संख्या '' शून्य''––––––––––					

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPTIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

February 13, 2023

No. 1278/VIII/S.L.A.O./Amroha/2023–Whereas preliminary notification no. 511/VIII/S.L.A.O/ Amroha/22, Dated 10.08.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.2901

hectares of land Village-Nizampur Sumali, Sehali Jageer, Bhikanpur Sumali, Semla, Sultanpur Molvi, Khanpur, Poothi, Firojpur Gandawali , Lisri Bujurg Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur District-Amroha & Village-Shahwajpur Kalan Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body) and lastly published on dated 16.09.2022 The Deputy Collector, Hasanpur/Amroha was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent zero hectares of land Village-Nizampur Sumali, Bhikanpur Sumali, Semla, Sultanpur Molvi, Khanpur, Poothi, Firojpur Gandawali , Lisri Bujurg Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha & Village-Shahwajpur Kalan Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha District-Amroha as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect, the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Arean to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Nizampur Sumali	59	0.1624
				122	0.0560
				Total	**0.2184**
			Bhikanpur Sumali	180	0.0030
				194	0.0028
				197	0.0036
				Total	**0.0094**
			Semla	397	0.1888
			Sultanpur Molvi	258	0.1298
				265	0.0090
				Total	**0.1388**
			Khanpur	31	0.1414
				04	0.0462
				Total	**0.1876**

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Poothi	98	0.2240
			Firojpur Gandawali	72	0.0072
				73	0.1104
				150	0.0222
				151	0.0420
				152	0.0112
				154	0.0840
				155	0.0012
				Total	**0.2782**
			Lisri Bujurg	128	0.0420
Amroha	Amroha	Amroha	Shahwajpur Kalan	110	0.1246
				193	0.0144
				194	0.0048
				196	0.0104
				Total	**0.1542**
				G.Total	**1.4414**

SCHEDULE-B

(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
----------Nil----------					

NOTE–A Plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

प्रारूप-18

ख नियम-20 का उपनियम (2)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

23 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1311/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-14, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर परगना हसनपुर ग्राम सरकडा खुर्द, खजूरी, तसीहा, तेलीपुरा माफी एवं रजोहा में कुल 1.8310 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा ..... दिनांक ..... को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक सामाघात लागू नही है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर .को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	सरकडा खुर्द	17	0.2912
				127	0.1288
				योग . .	**0.4200**
			खजूरी	92 मि0	0.2436
				94	0.4340
				111	0.0024
				योग . .	**0.6800**
			तसीहा	103	0.0252
				104	0.0512
				309	0.0046
				408	0.0064
				411	0.0204
				412 मि0	0.3532
				योग . .	**0.4610**
			तेलीपुरा माफी	63	0.1092
			रजोहा	59	0.0240
				320	0.0228
				323	0.1140
				कुल योग . .	**1.8310**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ठ एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ठ भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

February 23, 2023

No. 1311/VIII/S.L.A.O./Amroha/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 1.8310 hectares of land is required in the Village-Sarkra Khurd, Khazoori, Tasiha-Talipura Mafi & Rajoha Pargana -Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government..X which has approved its recommendation on date…….

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows–

   Under Section to 2(1) of the Land Acquisition Act, 2013, Social Impact Assessment is not applicable on the Irrigation Department.

4. A total of zero families are likely to be displace due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

   Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Sarkra Khurd	17	0.2912
				127	0.1288
				Total . .	**0.4200**

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Khazoori	92 M.	0.2436
				94	0.4340
				111	0.0024
				Total . .	**0.6800**
			Tasiha	103	0.0252
				104	0.0512
				309	0.0046
				408	0.0064
				411	0.0204
				412 M.	0.3532
				Total . .	**0.4610**
			Talipura Mafi	63	0.1092
			Rajoha	59	0.0240
				320	0.0228
				323	0.1140
				Total . .	**0.1608**
				G.Total . .	**1.8310**

6. The Government is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within **(days) 60** after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 20, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, बदायूँ

22 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1087-88/इक्कीस-13 (1018-19)–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-239 एवं 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, बदायूँ में ग्राम्य क्षेत्र में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुये शेष ग्राम्य क्षेत्र के अर्न्तगत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी है जो सरकारी गजट इलाहाबाद में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियां

1–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत़ बदायूँ से है।

2–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत बदायूँ से है।

3–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बदायूँ से है।

4–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत बदायूँ से है।

5–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

अ–अभियंता–अभियंता, जिला पंचायत बदायूँ।

ब–अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता जिला पंचायत बदायूँ से है जिसको तहसील स्तर पर तैनात क्षेत्रीय अवर अभियन्ता से है।

6–स्वामी का तात्पर्य उस व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

7–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

8–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित या जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र से है ।

9–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

10–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

11–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का नव निर्माण/ध्वस्त कर पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करने से है।

12–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच ऊँचाई से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

13–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

14–ड्रेनेज का तात्पर्य उस निर्माण व्यवस्था से है, जिसके द्वारा रसोई, स्नान गृह, से अनुपयोगी गन्दा पानी के साथ डिस्पोजल किया जाता है जिसमें पाइप व्यवस्था भी सम्मलित है।

15–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो ।

16–तल (Floor-Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के निचले खण्ड की भूमि या बने फर्श के तल के ऊपर सतह से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला-फिरा जाता हो।

17–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR-) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

18–भू-आच्छादन (Ground-Coverage) का तात्पर्य भू-तल को निर्माण से घेरे गये क्षेत्रफल से है।

19–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैस–पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

20–ले-आउट प्लान का तात्पर्य प्रस्तावित भू-खण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के चिन्हांकन से है जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Land-Scaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

21–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

22–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

23–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy-Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की ऊपरी सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच से है यह एक मंजिल कहलायेगा।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के संरचना से है, जो मानव व पालतू पशुओं के निवास तथा व्यवसायिक हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री प्रयोग कर बनाई गई संरचना से है।

27–सभी प्रकार के भवनों व संरचना या संरचना में दैवीय आपदा को दृश्टिगत रखते हुये सुरक्षा सम्बन्धित निर्माण में प्राविधान रखा जायेगा।

28–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणाम स्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

29–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

30–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code , Bureau of Indian Standards के यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत बदायूँ के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

अ–ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना व मानचित्र देना होगा।

ब–सफेदी व रंग–रोगन के लिए ।

स–प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

य–पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

र–प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

व–मिटटी खोदने या मिटटी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार,ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगाः–

(i) ले–आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा ।

(ii) की–प्लान का पैमाना 1:1000 होगा ।

(iii) बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा ।

(iv) स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम ।

(v) समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

(vi) स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय विलेख, पंजीकृत वसीयत व दान-पत्र इत्यादि दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के निम्नानुसार होगा :–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य का विवरण जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धमार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड करवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु मंजिली भवन (Multi Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी।

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकि अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना(Consider) गया है ।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt-Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल(Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट सड़क या मार्ग से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी! भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead-End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground-Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है–

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम,विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3—(क) आवासीय भवन में कमरे का आकर 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ऐ०सी० कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकर 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (TOILET) का आकर 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए ।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़कों की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर के साथ-साथ भू-स्वामी की भी होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा सवयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांस्फार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground-Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground-Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (I)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफफरनगर, एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो(FAR) के मानक निम्नवत होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो(FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night-Shelter)	50	3.00	30	21

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
3	औद्योगिक भवन–	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन–				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन :–				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपों, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा,सूअर,बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए० टी० एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट-बेक (set-back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (side)	पीछे (Reer)	लैंड स्केपिंग (land-Scaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(झ) पार्किंग-स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
4	व्यवसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
6	लाज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवसीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत FAR का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(1) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दिवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौडाई का परिवहन-मार्ग (Carriage Way) होगा।

(2) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०,एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(3) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(4) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जाएगा।

(5) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(6) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जाएगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फ़र्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फ़ायर मैंन स्विच युक्त फ़ायर लिफ्ट, वेट राइज़र डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज मीटर
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

1-मोबाइल टावर् की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।

2-जनरेटर केवल 'साइलैंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाए जाएंगे।

3-यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

4-जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5-सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

6-इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स,रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7-अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये जिला पंचायत बदायूं में प्रथम बार शुल्क के रूप में पचास हजार रूपये जमा कराना होगा यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non- Refundable) होगा । अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

8–शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

9–व्यवासयिक संस्थाये(कोई व्याक्ति कम्पनी फर्म ग्रुप किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग) के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत होर्डिंग हेतु 100 वर्ग प्रति मी0 जिला पंचायत बदायूँ में जमा कर अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना होगा।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

1-आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

जिला पंचायत बदायूँ में सभी तलों पर फ़र्श से ढके भाग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर होगी।

2-व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन–

सूची (I) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फ़र्श से ढके भाग पर रु0 100 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

3—(i) भूमि की प्लाटिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बाँटना।

(ii) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क,उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर,ईंधन आर०सी०सी०पाईप आदि ।

(iv)किसी परियोजना का तलपट मानचित्र (Lay-out Plan)–

उपरोक्त ग-(i) से (iv) तक, जिला पंचायत बदायूँ में 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर दर होगी।

4-पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

5—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

6—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

7—यदि स्वीकृती के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

8—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding-Fees) रोपित किया जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट-मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा । समझौता शुल्क (Compounding-Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी ।

9—जिला पंचायत बदायूँ में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी ।

10–जिला पंचायत बदायूँ में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 5 रुपये प्रति मीटर दर होगी।

नोट-(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फ़र्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय मे जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहु मंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परीयोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शों पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकि जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकि प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकि दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकि आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकि आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लियें एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तो के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित-स्वीकृति (Deemed-Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ती के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य-अनुदेश (General-Instructions)

1–**भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल** व नदी व तालाब के किनारे से 200 **मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।** 200 **मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जाएगी।**

2–**भूखंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।**

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट-पार्किंग (Stilt-Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा-तल (Service-Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व् विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जयेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंधनकर्ता के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचातय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है–

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिज़ाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति,कम्पनी,फ़र्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है,अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बदायूँ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
बरेली मण्डल, बरेली।

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 20, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर निगम, झाँसी

22 जुलाई, 2022 ई0

सं0 132/स्वा0वि0/न0नि0/2022-23–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, विभाग एतद् द्वारा ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेन्ट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अनुषंगिक मामलों के लिये निम्नलिखित विनियम बनाती है।

अध्याय–I

प्रारम्भिक–

1–लघु–शीर्षक और प्रारम्भ–

(i) इन विनियमों को 'झाँसी फीकल स्लज, सैप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0) विनियम, 2022 कहा जायेगा।

(ii) ये विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से झाँसी नगर निगम (जे0एन0एन0) की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2–परिभाषाऐं–

(i) 'एक्सेस कवर से तात्पर्य है-निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यो के लिये ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्था (ओ0एस0एस0) तक पहुंच के लिये प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपर्युक्त ढक्कन;

(ii) जे0एन0एन0 पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से तात्पर्य है-राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिये विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर जिसका जे0एन0एन0 द्वारा फीकल स्लज एवं सैप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिये निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो;

(iii) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0) एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-थलग पड़े सामुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सजृन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेन्ट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से अपशिष्ट जल के तरल-ठोस, दोनों भागों को उपचार किया जाता है।

(iv) निर्दिष्ट अधिकारी से तात्पर्य, स्वयं नगर आयुक्त अथवा जे0एन0एन0 का ऐसा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी/उप नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त आदि, जिसे नगर आयुक्त द्वारा लाईसेन्स जारी करने या उसे निर्दिश्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिये अधिकृत किया गया है;

(v) डी-स्लजिंग से लाईसेन्स प्राप्त ऑपरेटर अथवा जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा ओ0एस0एस0 से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है;

(vi) निपटान से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रभावित करना/ले जाने का कार्य अभिप्रेत है।

(vii) उत्प्रवाही किसी ओ0एस0एस0 से श्रावित द्रव्य है। सैपटेज से निकलने वाले द्रवय को भी उत्प्रवाही कहा जाता है;

(viii) फीकल स्लज से ओ0एस0एस0 की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर और शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताऐं भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, ओ0एस0एस0 में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पेटर्न से प्रभावित होती है;

(ix) ''फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसएसटीपी)'' सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहाँ फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) ''लाइसेंस'' से तात्पर्य है-किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें जे0एन0एन0के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो;

(ix) ''लाईसेंस प्राप्त ऑपरेटर'' से तात्पर्य है-डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति;

(xii) ''अधिसूचित स्थान'' से तात्पर्य है एफएसएस पहुंचने और निपटान का स्थान जिसे जे0एन0एन0 द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है;

(xiii) ''ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (ओएसएस)'' ऐसी स्वच्दता तकनीक/व्यवस्थता जिसमें मल-मूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां वह उत्पन्न होता है;

(xiv) ''प्रचालक'' से तात्पर्य है-एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन या ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति;

(xv) ''व्यक्ति'' प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या न हों;

(xvi) ''शेडयूल्ड डी स्लजिंग'' सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन (सीपीएचईईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया;

(xvii) ''सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है;

(xviii) ''सीवेज'' अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है;

(xix) ''सीवर'' से तात्पर्य है-समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईपलाइन;

(xx) ''सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट'' से तात्पर्य है-वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है;

(xxi) ''कार्यबल'' से तात्पर्य है–शहर में नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगो, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है;

(xxii) जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी'' से तात्पर्य है-जे0एन0एन0 के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस क डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए जे0एन0एन0 के सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी;

(xxiii) ''परिवहन'' से तात्पर्य है-जे0एन0एन0 पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना;

(xxiv) ''ट्रीटमेंट'' से तात्पर्य है-प्रदूषण को कम करने या उसकी रोक थाम के लिए एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया;

(xxv) ''वैक्यूम टैंकर'' एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खोंचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गए एफएसएस के परिवहन के लिए भी किया जाता है;

(xxvi) ''अपशिष्ट जल'' से तात्पर्य है-घरेलू/व्यावासायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल हैं किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है;

इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल प्रबंधन–

3–परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान–प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्ही तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्:

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथाः अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सैप्टिक टैंक से जोड़े;

(ii) अपशिष्ट जल को जे0एन0एन0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेन्ट किया जा सके। संपत्ति मालिक (मालकिन), ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फ्लशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओएसएस में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउटलेट ना हो।

अध्याय-III

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं–

4–ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः आशोधित 'मैन्युअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स, 2013, सीपीएचईईओ' के प्रावधानों के अनुसार अथवा जे0एन0एन0 या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफएसएस की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक जे0एन0एन0 द्वारा यथाः निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा स्थिति में रु0 5000/– आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओएसएस में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफएसएस के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओएसएस को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) जे0एन0एन0 या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। जे0एन0एन0 परिसर के मालिक/धारक को एक समय-सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (एफएसएसडब्ल्यू) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) जे0एन0एन0 अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-IV

एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिग–

5-जे0एन0एन0 द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना–

(i) जे0एन0एन0 निजी ऑपरेटर(रों) द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर(रों) का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में झाँसी शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे है।

(ii) जे0एन0एन0 अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा (करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iv) जे0एन0एन0 एफएसएस को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तो की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi) जे0एन0एन0 आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगी। जे0एन0एन0 अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। जे0एन0एन0को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में जे0एन0एन0 मानते है कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6-लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड–

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित ''व्यक्ति'' हैं।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सक्शन और डिस्चार्जिग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

(iii) झाँसी में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक जे0एन0एन0 के साथ अपने अपने वैक्यूम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते है।

(vi) आवेदक जे0एन0एन0 अथवा जे0एन0एन0 द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के साथ श्रमिको को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7-लाइसेंस के लिए आवेदन–

एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और जे0एन0एन0 के निर्दिष्ट अधिकारी(रियों) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8-लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण–

जे0एन0एन0 अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

9-लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क–

जे0एन0एन0 लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा जे0एन0एन के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10-परफॉरमेंस गारंटी–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि जे0एन0एन0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

11-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार–

जे0एन0एन0 समय समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(ओं) को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12-जागरूकता अभियान–

जे0एन0एन0 इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेगें, साथ ही साथ एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-V

एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन–

13-संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा–

(i) एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए जे0एन0एन0 के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा (करेगी) कि डी-स्लजर(रों) को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा(करेगी)।

14-एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क–

(i) एफएसएस की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को जे0एन0एन0 के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) जे0एन0एन0 शहर में शेडयूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को **'सैनिटेशन चार्ज' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है**, जिसे समय-समय पर जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा(करेगी)।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनायेगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15-एफएसएस के परिवहन के लिए वाहन–

(i) एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(रों), या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकर(रों) को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों में, संबंधित ऑपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गो (जैसा कि समय-समय पर जे0एन0एन0 द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर जे0एन0एन0 द्वारा जारी किये गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' (''SEPTIC TANK WASTE'') (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जाएगे।

16-परिवहन के दौरान सावधानियां–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17-दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय–

एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18-दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता–

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन संपत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा (होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19-तैनात कर्मी(यों) के लिए सुरक्षा-उपाय–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चलित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20-एफएसएस का निपटान–

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय समय पर जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा (करेगी)।

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म जे0एन0एन0 के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

21-कर्मियों का प्रशिक्षण–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा (होगी)।

22-कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या सुनिशिचित करने के लिए जिम्मेदार होगा (होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख जे0एन0एन0 को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23-बीमा–

एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीडितों/उनके कानूनी वारिसों को ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

24-लाइसेंस रद्द करना–

इन विनियमों सहित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारीयों की सिफारिश के अनुसार परफाॅमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-VI

एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान–

25-उपचार/निपटान स्थनल(लों) की पहचान–

जे0एन0एन0 ऐसे स्थान(नों) की पहचान करेगा और अधिसूचित करेगा, जहां एफएसएसडब्ल्यू को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या जे0एन0एन0 के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जाएगा।

26-एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन–

जे0एन0एन0 आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगा और पंजीकृत वाहन(नों) द्वारा लाए गऐ एफएसएसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

27-एफएसएस प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती–

प्रत्येक अधिसूचित स्थान(नों) पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु जे0एन0एन0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगा।

28-एफएसएस प्राप्ति का समय–

जे0एन0एन0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित सथान(नों) पर जे0एन0एन0 के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जाएगा।

29-औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए–

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थान(नों) पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

30-एफएसएसएम में प्रशिक्षण–

जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित स्थान(नों) पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

31-उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुनःउपयोग–

(i) जे0एन0एन0 किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) जे0एन0एन0 शहर में डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (1 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचरित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए जे0एन0एन0 से परामर्श करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन–

32-प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार नगर आयुक्त या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित हैं जिन्हें विधिवत तौर पर नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जे0एन0एन0 समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगर्ता को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33-निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार–

इन विनियमों के प्रभावी कार्यानवयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से, जे0एन0एन0 के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34-उल्लंघन और दंड–

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति- (क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गए अधिकार के तहत कार्य करने वाले जे0एन0एन0 के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यु उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में, जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5000/–) के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रूपये (रु0 1000/–) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त पुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जाएगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए, एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35-अपील–

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत जे0एन0एन0 के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो नगर आयुक्त को ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता (सकती) है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय नगर आयुक्त द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई थी।

36-विवाद समाधान उपबंध–

कोई भी विवाद जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल झाँसी शहर होगा।

37-संदर्भ दस्तावेज–

नियमों के कार्यानवयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है क्यों कि वे समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

38-राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे–

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफएसएसडब्ल्यूएम के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

परिशिष्ट-1

प्रपत्र-1: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन-प्रपत्र

झाँसी नगर निगम, में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन-प्रपत्र

हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार की स्वयं सत्यापित फोटों लगाएं

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री) .....

.....

2. राष्ट्रीयता: (भारतीय/अन्य) .....

3. पत्राचार का पता: .....

.....

4. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता: .....

.....

5. टेलीफोन नंबर: (कार्यालय) ..... (मोबाइल) .....

6. ईमेल आईडी: .....

7. वाहन को पंजीकरण संख्या:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

8. वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

9. वाहन बीमा वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

10. वाहन प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैधता की अवधि:

(i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

11. क्या वाहन में पीपीएस ट्रैकर संस्थापित है (हाँ/नहीं) .....

12. लाईसेंस के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान का विवरण

डी.डी. नंबर: ..... दिनांक ..... बैंक: .....

13. संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्वयं-सत्यापित प्रति) (टिक करें):

☐ पहचान-पत्र ☐ पंजीकरण प्रमाण-पत्र ☐ प्रदूषण प्रमाण-पत्र ☐ निवास प्रमाण-पत्र

☐ स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ बीमा और पॅलिसी अनुसूची का प्रमाण-पत्र

☐ पास पोर्ट साइज फोटो ☐ कर्मचारियों की सूची

संलग्नों की कुल संख्या: .....

मैं/हम यह प्रमाणित करता (करती) हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 13 में दी गई जानकारी मेरे/हमारे संज्ञान में सही और सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता (करती) हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तो को ठीक ढंग से पढ़ और समझ लिया है और इनके अनुपालन के लिए मै सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाने पर किसी भी समय लाइसेंस के लिए मेरा आवेदन रद्द किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तिथि: .....

निबंधन एवं शर्तें–

(i) मल कीचड़ और सेप्टेज (एफएसएस) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जाएगा जिनके पास इस उद्देष्य हेतु झाँसी नगर निगम (जे0एन0एन0) से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

(ii) मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफएसएसटीपी) तक एफएसएस के संग्रहण और परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर जे0एन0एन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओएसएस के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

(iii) एफएसएस का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें जे0एन0एन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

(iv) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफएसटीपी तक परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

(v) डिस्लजिंग बिन्दु से एफएसएसटीपी तक एफएसएस को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे को ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा और जे0एन0एन0 द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जाएगा।

(vii) किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(viii) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(ix) वाहन/ टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' ("SEPTIC TANK WASTE") (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(x) लाइसेंसधारी एफएसएस को केवल निर्दिष्ट एफएसएसटीपी/ नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

(xi) एफएसएसटीपी पर एफएसएस सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना बनाएगा, ताकि तय किए गए समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सके।

(xii) लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवाएं प्रदान करने, सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोंग करने आदि के लिए होगा।

(xiii) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेंदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो, और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय जे0एन0एन0 को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

(xiv) एफएसएस की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जाएगा।

(xv) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि को जब्त कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिये भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट 2

प्रपत्र 2: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्रदान करने हेतु

नगर निगम, झाँसी में मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण,
परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस

नगर निगम, झाँसी की मोहर के साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं

नियमों/विनियमों, नगर निगम अधिनियम नियमों के सभी निबंधनों व शर्तो के क्रम में यह लाइसेंस और उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और कानूनों को लागू करने के विशेष लाइसेंस शर्तों के अधीन एतद् आपको अनुमति दी गई है:

1. आवेदक (श्री/सुश्री) का नाम .....

.....

2. मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता:.....

.....

नगर निगम, झाँसी में ऑनसाइट कन्टेनमेंट से मल कीचड़ एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन एवं निपटान के लिए।

यह लाइसेंस एफएसएस संग्रहण, परिवहन और निपटान लाइसेंस आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी पर आधारित है। यह लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है, जो नीचे निर्धारित है।

3. लाइसेंस नंबर: .....

4. प्रभावी तिथि: .....

5. समाप्ति तिथि: .....

गैर-अनुपालन के मामले में लाइसेंस रद्द या निरस्त किया जा सकता है और यह हस्तांतरणीय नहीं है। लाइसेंसधारी के कार्यालय में मूल लाइसेंस की प्रति फाइल में रखी जाएगी। इस लाइसेंस की एक प्रति लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक पंजीकृत वाहन में प्रदर्शित की जानी चाहिए।

6. हस्ताक्षर:

एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी

परिशिष्ट-3

सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों की सूची–

कार्यसथल पर निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगेः–

(i) शारीरिक सुरक्षा परिधान, जो मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते है, जो प्रतिबिंबित होत और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

(ii) सेफ्टी बॉडी हार्नेस/सेफ्टी बेल्ट।

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स, जो धूल, धुएं, धुंध, माइक्रोअर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(iv) सेफ्टी टार्च।

(v) भारी रसायन प्रतिरोध हाथ के दस्ताने, जो ब्यूटाइल से बने होते हैं और यांत्रिक सुरक्षा और खतरनाक सामग्री के छलकाव से सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त तौर पर फायदेमंद होते हैं।

(vi) सेफ्टी गॉगल्स (सुरक्षात्मक चश्मे) जिनमें रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता के साथ संक्रामक पदार्थों को आंखों तक पहुंचने से बचाने की क्षमता होती है।

(vii) सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जिसमें एक टार्च लगी होती है और जो कम प्रकाशित स्थानों में कार्य करने में सहायक हो।

(viii) पुनः उपयोग किया जाने वाला इयरप्लग, जो प्रमुख तौर पर एक लचीली पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे जरूरत न होने पर गर्दन पर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन से बने होते हैं और ये वैक्यूम टैंकरों के ऑपरेशन के दौरान सहायक होते है, जहाँ औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होती है।

(ix) एमर्जेंसी मेडिकल ऑक्सिजन रिससकिटेटर किट।

(x) गैस मॉनिटर।

(xi) हैड लैम्प।

(xii) गाइड पाइप सेट।

(xiii) सुरक्षा ट्राईपॉड सेट।

(xiv) वेडर बूट्स।

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर।

(xvi) मॉडयूलर एयरलाइंस आपूर्ति ट्रॉली सिसटम।

(xvii) रेनकोट।

परिशिष्ट-4

प्रपत्र 3: एफएसएस के संग्रहण, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर निगम, झाँसी में मल कीचड़ एवं सेपटेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान हेतु रिकॉर्ड के रखरखाव का प्रपत्र

तिथि ..... समय .....

I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक/मालकिन का विवरण–

1. नामः .....
2. पताः .....
3. टेलीफोन नंबरः .....
4. स्थापना का प्रकारः .....

II. नियंत्रण–

1. निर्माण का वर्ष ..... 2. पिछली डिस्लजिंकः (तिथि/माह/वर्ष): .....
3. मौजूदा आउटलेट (हाँ/नहीं):..... 4. यदि हाँ, किससे जुडा हुआः .....
5. कन्टेनमेंट का आकारः .....
6. लाइनिंग (हाँ/नहीं): दिवारें ..... तल .....
7. कक्षों की संख्याः ..... 8. प्रत्येक बाधिक दीवार में आउटलेट की संख्याः .....
9. माप (फीट): लंबाई ..... चौडाई ..... गहराई .....
   व्यास ..... गहराई .....
10. जीपीएस निर्देशांकः अक्षांश ..... देशान्तर .....
11. संपत्ति के भीतर कन्टेनमेंट का स्थानः .....
.....

III. डि-स्लजिंग–

1. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर): ..... 2. डि-स्लजिंग में समय **(घंटे):** .....
3. यात्रा की लंबाई (किमी): ..... 4. आवागमन में समय (घंटे): .....

IV. डि-स्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण–

1. ऑपरेटर का नामः .....
2. वाहन पंजीकरण संख्याः ..... 3. सीएनपीपी लाइसेंस नंः .....

V. हस्ताक्षर–

डयूटी पर एम्पटीयर स्टाफ एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक ओएसएस मालिक

VI. डिकैटिंग (निथारना)–

1. समय (घंटे/माह): ..... 2. एफएसएस की मात्रा (घन मीटर): .....
3. एम्पटयर कर्मचारियों का नामः .....
4. एफएसएसटीपी ऑपरेटर का नामः .....

VII. हस्ताक्षर–

डयूटी पर एम्पटीयर स्टाफ एम्पटीयर/ऑपरेटर/मालिक ऐंफ्इसइसटीपि ऑपरेटर

परिशिष्ट-6

प्रपत्र 4: अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपील ज्ञापन

अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपील ज्ञापन का प्रपत्र–

''अपीलीय प्राधिकारी'' के समक्ष

..... (पदनाम)

1. अपीलकर्ता का पुरा नामः .....

2. अपीलकर्ता का पताः .....

.....

3. नगर निगम अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरूद्ध अपील जारी की है

नामः ..... पदनामः .....

4. आदेश प्राप्त होने की तिथि जिस के विरूद्ध अपील जारी की हैः .....

5. अपील दर्ज करने की तिथिः .....

6. सूचना का विवरण

क. संक्षिप्त में अपील का विषय (आदेश की प्रतिलिपि लगाएं)

.....

.....

ख. अपील का आधार (विवरण, यदि कोई हो तो अलग शीट में संलग्न किया जाए)

.....

.....

<u>सत्यापन</u>

मैं, ... (आवेदक का नाम), श्री ..... का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी यह घोषणा करता/करती हुँ कि अपील में प्रदान की गई जानकारी मेरे संज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और यह कि मेरे द्वारा किसी भी तत्यगत जानकारी को छुपाया नहीं गया है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः ..... तिथि .....

संलग्नक के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची

1.

2.

..... यहाँ से फाडें .....

<u>पावती</u>

सं0 ..... तिथि .....

..... से संलग्न के साथ अपील का ज्ञापन प्राप्त किया।

स्थान ..... तिथि .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

झाँसी नगर आयुक्त के आदेश द्वारा

ह0 (अस्पष्ट),

नगर आयुक्त,

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बहजोई (सम्भल)

12 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 1079/न0पं0पा0/2022-23/22—दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 के द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) ज (ग) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बहजोई क्षेत्र में सब्जी बाजार शुल्क/किराया वसूल किये जाने हेतु उप विधि दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक अमर उजाला के अंक 31 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित करके नागरिकों से प्रकाशन दिनांक के 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियों/सुझाव हेतु नगर पालिका परिषद बहजोई सीमान्तर्गत सब्जी बाजार शुल्क/किराया वसूली उपविधि प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। अब पालिका बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 05 मई, 2021 के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा अन्तिम प्रकाशन हेतु गजट की पुष्टि की है। अतएव यू0पी0 म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत अन्तिम रूप से यह उपविधि प्रकाशित की जाती है। उपनियम गजट की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

उपविधि

1—संक्षिप्त नाम तथा प्रसार—(1) यह नियमावली नगर पालिका परिषद बहजोई के सीमान्तर्गत सार्वजनिक मार्ग की पटारियों पर स्थित सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क 2019 कहलायेगी।

(2) इसका प्रभाव नगर की सीमा के अन्दर सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि बेचने हेतु सब्जी बाजार शुल्क/किराया शुल्क अदा करेगा।

2—परिभाषा—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में।

(क) नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद बहजोई (सम्भल) से होगा।

(ख) अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बहजोई (सम्भल) से होगा।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहजोई (सम्भल) से होगा।

(घ) किराया/शुल्क का तात्पर्य सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय किये जाने के उद्देश्य से नियमित बाजार लगने तथा निश्चित दिनों पर बाजार लगने पर निहित भूमि को उपयोग करने के लिए निर्धारित किराया/शुल्क से होगा।

(ङ) अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम सं0 2, 1916 से है)

(च) अनुज्ञापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय किये जाने के उद्देश्य से नियमित बाजार लगने तथा निश्चित दिनों पर बाजार लगने पर निहित भूमि को उपयोग करने के लिए निर्धारित किराया/शुल्क वसूली का ठेका दिया गया हो और जिसे इस उपविधि के अधीन नगर पालिका परिषद बहजोई की सीमा में सब्जी बाजार शुल्क/किराया की वसूली हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(छ) अनुज्ञा-पत्र का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है।

(ज) वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक ।

3—नियम—(1) नगर पालिका परिषद बहजोई के सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय किये जाने पर नियमित बाजार लगने तथा निश्चित दिनों पर बाजार लगने पर निहित भूमि के उपयोग करने का शुल्क/किराया अदा करने के बाद विक्रय करने का अधिकारी होगा।

(2) नगर पालिका परिषद बहजोई की सीमान्तर्गत सड़क की पटरी पर सब्जी इत्यादि विक्रय किये जाने पर सब्जी बाजार की निहित भूमि प्रयोग करने की दर जो इस नियमावली में है वह अदा करने के उपरान्त ही विक्रय करने का अधिकारी होगा।

(3) विक्रेता को सब्जी बाजार की अदा की जाने वाली दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त बतौर जुर्माना अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा वैडिंग जोन पर भी वही किराया निर्धारित किया जाता है जो किराया सब्जी बाजार में होगा। नान-वैडिंग जोन में विक्रय करने पर 50 प्रतिशत किराया अतिरिक्त बतौर जुर्माना वसूल कर सकती है।

(4) किराया/शुल्क की वसूली अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत नगर पालिका परिषद बहजोई के कर्मचारियों द्वारा अपरिहार्य स्थिति में की जायेगी। नगर पालिका परिषद, बहजोई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रसीद तुरन्त किराया/शुल्क दाता को देगा जिसमें सम्पूर्ण विवरण अंकित होगा।

(5) शुल्क/किराया वसूली करने वाला कर्मचारी दैनिक वसूली का हिसाब दूसरे दिन कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहजोई में जमा करेगा।

(6) दैनिक वसूली कार्यालय द्वारा रोकड़ बही में दर्ज करें बैंक अथवा कोषागार स्थित नगर पालिका परिषद बहजोई के खाते में जमा की जायेगी और चालान की प्रति रसीद बही में चस्पा की जायेगी।

(7) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/नियुक्त कर्मचारी समय-समय पर सड़क की पटरियों/सब्जी बाजार का निरीक्षण करेगें। सब्जी इत्यादि विक्रेता के पास भुगतान किये गये किराया/शुल्क की रसीद न होने पर दण्ड के भागी होगें जो रु0 100.00 से रु0 1,000.00 तक हो सकता है।

(8) सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया की वसूली हेतु सार्वजनिक नीलामी किये जाने की आवश्यकता पड़ने पर नीलाम अधिकारी अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी होगा।

(9) नीलाम की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

(10) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को नीलाम की अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(11) सब्जी बाजार शुल्क/किराया शुल्क हेतु उचित तथ अधिकतम बोली आने के बाद ही अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जायेगी। तत्पश्चात् ठेकेदार को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद वसूली करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

(12) सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क की वसूली का ठेकेदार द्वारा नगर पालिका परिषद बहजोई द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेगी।

(13) ठेकेदार अपने हर्जे-खर्चे से सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क की वसूली की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिससे सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क वसूल करेगा प्राप्त धनराशि की निर्धारित प्रारूप पर रसीद तुरन्त देगा जिसमें सम्पूर्ण विवरण अंकित होगा सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क की निर्धारित होने पर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद बहजोई कार्यालय से सम्पर्क कर शंका का निवारण कर सकता है।

(14) नगर पालिका परिषद बहजोई के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा अधिकृत कर्मचारियों को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा अनियमितता बरतने पर उसके विरूद्व तत्काल कानूनी कार्यवाही कर सकेगें।

(15) यह उपविधियां गज़ट में प्रकाशन की तिथि से निम्नवत होगा–

4–सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क की दरें–

(1) 6×5 साइज तक भूमि प्रयोग करने पर – 50.00 रु0 प्रतिदिन

(2) 6×5 साइज से अतिरिक्त भूमि पर किराया – 10.00 रु0 प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन अतिरिक्त

मछली/मुर्गा विक्रेता/बकरा आदि प्रतिबन्धित बस्तु को छोड़कर

(3) 6×5 साइज पर उपरोक्त प्रतिबन्धित वस्तुओं पर भूमि प्रयोग करने पर – 100.00 रु0 प्रतिदिन

(4) हाथ ठेला/रिक्शा/रेहडी आदि की भूमि प्रयोग करने पर – 20.00 रु0 प्रतिदिन

(दिव्यांग विक्रेता–प्रमाण-पत्र दिखाने पर उपरोक्त सूची में वर्णित दरें पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी)

5–जो विक्रेता एक बार शुल्क/किराया एक स्थान पर अदा कर देता है तो उसे किराया/शुल्क उस दिन का नही देना होगा ।

नोट–यह उपविधि सं0 प्रां0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा (2) ज (ग) के अन्तर्गत नगर सीमा में सब्जी बाजार में सब्जी इत्यादि विक्रय पर शुल्क/किराया शुल्क का उपयोग करने पर वसूली जायेगी।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहजोई सम्भल निर्देश देते है कि इस उपविधि अथवा इसके किसी अंश के उल्लंघन पर (जिन पर उपविधि का प्रभाव पड़ता हो) रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक अर्थदण्ड किया जा सकता है यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो दोष सिद्ध होने के दिनांक से रु0 50.00 (पचास रुपये मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से किया जा सकता है।

रमेश चन्द्र बादशाह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
बहजोई, सम्भल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कौशल कास्टिंग्स, 12/55 नगला बाल चन्द नुनिहाई आगरा में स्थित है Ag 6353 उपरोक्त फर्म में साझेदार अमरनाथ कौशल पुत्र स्व0 बैजनाथ कौशल, अभिषेक कौशल पुत्र अमरनाथ कौशल, विनीता कौशल पत्नी श्री अम्बरीश कौशल, श्वेता कौशल पत्नी श्री अवनीश कौशल, मीनाक्षी कौशल पत्नी श्री अभिषेक कौशल सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को संचालन की थी आज दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को श्री आदित्य कौशल पुत्र श्री अवनीश कौशल, अपूर्व कौशल पुत्र श्री अवनीश कौशल, नये साझेदार सम्मिलित हो गये हैं। अब फर्म को अमरनाथ कौशल, अभिषेक कौशल, विनीता कौशल, श्वेता कौशल, मीनाक्षी कौशल, आदित्य कौशल, अपूर्व कौशल संचालित करेंगे।

अभिषेक कौशल,
साझेदार,
मेसर्स कौशल कास्टिंग्स,
12/55 नगला बाल चन्द,
नुनिहाई, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वसुन्धरा सर्किल, अपोजिट हनुमान मन्दिर ओल्ड जी टी रोड, कोसीकला, मथुरा में स्थित है उपरोक्त संशोधित फर्म को हम साझेदार नरेश कुमार मित्तल पुत्र मित्र सेन मित्तल, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीराम, श्री पवन शर्मा पुत्र चन्द्रपाल शर्मा, नीरज गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल, सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री ब्रज किशोर अग्रवाल निवासीगढ़, कोसीकला मथुरा सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 29.04.2022 को संचालन की थी दिनांक 03.09.2022 को श्री लोकेश कुमार गर्ग पुत्र श्री रामकिशन गर्ग, अनुराग बसंल पुत्र श्री ओम प्रकाश बसंल, मै0 VASR एस्टेट प्रो0 आकाश दीप गर्ग, श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री जवाहर लाल अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हो गये है दिनांक 03.09. 2022 को नरेश कुमार मित्तल, अनिल कुमार अग्रवाल, पवन शर्मा, सुनीता अग्रवाल, फर्म से अलग हो गये है अब फर्म को नीरज गोयल, लोकेश कुमार गर्ग, अनुराग बसंल, मै0 VASR एस्टेट प्रो0 आकाश दीप गर्ग, श्री दिनेश अग्रवाल साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

नीरज गोयल,
साझेदार,
वसुन्धरा सर्किल,
अपोजिट ओल्ड जी,
टी रोड हनुमान मन्दिर,
कोसी कला, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि उक्त फर्म मेसर्स ब्रज इन्फ्रास्ट्रक्चर, शॉप नं0 1, मित्र नगर, नवादा, एन0एच0-2, मथुरा के भागीदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि उक्त फर्म के प्रथम पक्ष भागीदार श्री राजकुमार चाहर पुत्र स्व0 चतुरसाल निवासी-74 सुन्दरवन बालाजीपुरम मथुरा का निधन दिनांक 08 अगस्त, 2022 के कारण उनके उत्तराधिकारी श्री विशेष चाहर पुत्र स्व0 राजकुमार चाहर निवासी-74 बालाजीपुरम औरंगाबाद खादर मथुरा को उक्त फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उक्त दिनांक 08 अगस्त, 2022 से ही चतुर्थ पक्ष भागीदार श्री हरिओम सिंह पुत्र श्री छत्तर सिंह निवासी-ग्राम खोजिया पोस्ट सोनई जिला मथुरा अपनी स्वेच्छा से फर्म से फर्म की साझेदारी से पृथक् हो गये है। अब फर्म में श्री विशेष चाहर, श्री रन्धीर सिंह तथा श्री सुहांशु पलावत भागीदार है।

सुहांशु पलावत,
भागीदार,
मेसर्स ब्रज इन्फ्रास्ट्रक्चर,
शॉप नं0 1, मित्र नगर, नवादा,
एन0एच0-2, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भूपति एसोसियेट्स, बिहारी विलास टून्डला, जिला फिरोजाबाद में स्थित हैं उपरोक्त फर्म में श्री निर्मल कुमार, श्री अंकुश कुमार, श्री रनवीर सिंह, श्री धीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री भंवर सिंह सोलंकी, श्री खजान सिंह, कु0 साक्षी उपाध्याय, श्री इन्द्र जीत सिंह निवासीगण टून्डला, जिला फिरोजाबाद हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को संचालन की थी। दिनांक 01 सितम्बर, 2021 से श्री अंकुश कुमार, श्री रनवीर सिंह फर्म से पृथक् हो गये है तथा श्री राजीव दुबे फर्म में साझेदार हो गये है। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्री निर्मल कुमार फर्म से पृथक् हो गये है तथा श्रीमती कमलेश फर्म में साझेदार हो गयी है। दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से कु0 साक्षी उपाध्याय फर्म से पृथक् हो गयी है तथा श्रीमती ममता फर्म में साझेदार हो गई है। अब फर्म को श्री धीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री भंवर सिंह सोलंकी, श्री खजान सिंह, श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री राजीव दुबे, श्रीमती कमलेश, श्रीमती ममता निवासीगण टून्डला, जिला फिरोजाबाद हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

धीरेन्द्र विक्रम सिंह,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''आजाद राईस मिल'', पता कस्बा केमरी, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 16 फरवरी, 2023 को श्री रिजवान अली पुत्र श्री रईसुद्दीन निवासी 75, मोहल्ला माजुल्ला नगर, निकट जिला सहकारी बैंक, केमरी, बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये है तथा दिनांक 17 फरवरी, 2023 को श्री इमरान अली पुत्र श्री अकबर अली निवासी 75, मोहल्ला माजुल्ला नगर, निकट नूरी मस्जिद, केमरी, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर श्री वकील अहमद, श्री जमील अहमद, श्री नईम अहमद, शबनम बेगम, श्री सिराज अहमद व श्री इमरान अली हो गये हैं।

वकील अहमद,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''आजाद राईस मिल'',
पता कस्बा केमरी, जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रॉयल फीलिंग सेन्टर, रसूलपुर धौलडी, जिला मेरठ–250501 की साझेदारी में श्री इस्लाम बैग एवं मौ0 अफजाल साझीदार थे। दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दोनों साझीदारों श्री इस्लाम बैग एवं मौ0 अफजाल के द्वारा आपसी सहमति से साझीदार का विघटित किया गया है। दिनांक 02 फरवरी, 2023 फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता शेष नहीं है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इस्लाम बैग,
साझेदार,
मेसर्स रॉयल फीलिंग सेन्टर,
रसूलपुर धौलडी, जिला मेरठ–250501

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल सह-अंक प्रमाण-पत्र जिसका रोल नं0 23235153 है में मेरे पिता का नाम मनोज श्रीवास्तव अंकित हो गया है। जो त्रुटिपूर्ण है मेरे पिता का सही नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में अंकित है।

आयुष श्रीवास्तव,
95/11 सर्वोदय नगर, अल्लापुर,
प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।